

सूचनाएँ

★ **नामांकन की तिथि :** 08.04.2026 से 13.04.2026

कार्यालय अवधि : 9:30 बजे से 1:00 बजे अपराह्न तक

★ **नियमित कक्षा प्रारम्भ की तिथि :** 18.04.2026 (अभिभावक गोष्ठी के साथ) समय : 10:00 बजे पूर्वाह्न

(किसी कारणवश निर्धारित तिथियों में नामांकन नहीं करा सकने वाले छात्रों/ अभिभावकों के लिए अवसर दिया जायेगा।)

- नामांकन के समय स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) एवं प्रगति पत्र (Results) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
 - स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड में छात्र का नाम, जन्म तिथि, माता-पिता का नाम एक समान हो।
 - गुमला जिला में पढ़ने वाले छात्रों को छोड़कर, बाहर से आने वाले (अन्य जिलों) छात्रों के टी.सी. पर संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर (Countersign) कराना अनिवार्य है।
 - अन्य जिलों के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को टी.सी. पर संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक प्रतिहस्ताक्षर कराना अनिवार्य है। लेकिन प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को टी.सी. पर संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक से टी.सी. पर प्रतिहस्ताक्षर कराना अनिवार्य नहीं है।
 - गुमला जिला के विद्यालयों से आने वाले छात्रों को टी.सी. पर जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक से प्रतिहस्ताक्षर कराने की आवश्यकता नहीं है।
- विभागीय निर्देशानुसार प्रत्येक छात्र को आधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक खाता संख्या एवं IFSC कोड (पासबुक की छायाप्रति) कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
- नामांकन के समय ही विविध शुल्क यथा अभिभावक सहयोग राशि, छात्र कोष, विकास कोष, कम्प्युटर, डायरी, प्रगति-पत्र, परिचय-पत्र आदि का वार्षिक शुल्क चुकाना अनिवार्य है।
- शिक्षा विभाग के संकल्प के अनुसार मैट्रिक की परीक्षा के पहले जन्म तिथि अथवा उम्र कम करने की अनुमति नहीं है, इसलिए नामांकन के समय दी जाने वाली जन्म-तिथि, नाम, माता-पिता का नाम ही प्रमाणिक समझा जाता है। माता-पिता नामांकन के समय सोच-समझकर प्रमाण के साथ अपने बच्चे की जन्म तिथि प्रस्तुत करेंगे। बाद में, जन्म तिथि में किसी प्रकार के बदलाव पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

छटवाँ वर्ग के लिए 28.02.2017 के पूर्व की जन्म तिथि हो।

सातवाँ वर्ग के लिए 28.02.2016 के पूर्व की जन्म तिथि हो।

- यदि किसी कारणवश निर्धारित तिथियों के बीच नामांकन कराने में असमर्थ हों, तो कारण बताते हुए प्रधानाध्यापक को आवेदन देकर सूचित करें।
- नामांकन के समय प्रवेश-पत्र (फार्म का अधकटी अवश्य लावें)
- स्कूल युनिफॉम के लिए – मेन रोड गुमला में, झारखण्ड ड्रेस हाउस, बैंक ऑफ इण्डिया के सामने से संपर्क करें। युनिफॉम में चमड़े का काला जूता नेवी ब्लू मोजा अनिवार्य है टाई के लिए विद्यालय कार्यालय से संपर्क करें।

Manhar
20/03/26
प्रधानाध्यापक
St. Ignatius High School.
Gumla-835207